न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी-3475/2018/सागर/भू.रा. प्रकरण क्रमांक

महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्यालय
सागर प्रबंध न्यासी गिरीशचंद वर्मा
आत्मज श्री के. के. वर्मा द्वारा प्राचार्य
अतुल वर्मा पिता स्वः श्री कृष्ण कुमार वर्मा
आयु -49 वर्ष
महर्षि विद्या विद्या मंन्दिर, लहदरा नाका,
थाना मोती नगर, भोपाल रोड सागर,
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

..............निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1) सुधीर सोनी आत्मज स्व रामबावू सोनी
आयु - वयस्क, निवासी- 31 गांधी चौक
वार्ड सागर तह. व जिला सागर

[redacted]

..............उत्तरदातागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. म.प्र. भू राजस्व सहिंता 1959

उक्त निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 918/अ-68/16-17 मे पारित आलौच्य आदेश दिनांक10.04.2018 के विरुद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर समय अवधि मे प्रस्तुत की जा रही है।

10

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3474/2018/सागर/भू.रा. महर्षि वेद विज्ञान बनाम सुधीर सोनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.06.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित हुयें। उन्हें प्रकरण में कायमी व स्थगन पर सुना गया। 2. मेरे द्वारा प्रकरण् का अवलोकन किया तथा अपर आयुक्त् सागर संभाग सागर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 10.04.18 का परिशीलन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अनावेंदक 2 के रूप में म. प्र. शासन पक्षकार थे, जबकि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में म. प्र. शासन को पक्षकार बनाया गया है आलोच्य आदेश में उल्लिखित किया है कि हलका पटवारी ने तहसीलदार के क प्रतिवेदन दिया ग्राम लेहदरा की भूमि खसरा नंबर 295 रकवा 29 भूजल म0 प्र0 शासन की भूमि से 0.26 हे0 भूमि महर्षि वेद विज्ञान महाविघालय प्रबंध गिरीश चन्द्र वर्मा की कब्जा होने की शिकायत की प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में कारण बताओं नोटिस जारी किय गया राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में कहा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया है एवं बाउन्ड्रीबाल तैयार कर ली। बन्दोवस्त के पूर्व का अभिलेख में खसरा नंबर 995 रकवा 0.29 हे0 शासकीय नाला है मद भू-जल बाह्य नजूल की भूमि विद्यालय परिसर की भूमि पर बाउंड्री बनाकर कब्जा कर दिया है राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि खसरा नंबर 238 एवं 239 वर्तमान में शासकीय हैं नाला दर्ज है अनु0 अधि0 ने प्रकरण की विस्तृत विवेचना की एवं अनु0 अधि0	

के अभिलेख में षष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के यहां अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है परन्तु उक्त वाद में आगे क्या कार्यवाही हुई यह नहीं कहा गया है।

3- उक्त विवेचना अनुसार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में शासन को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए था जो कि इस प्रकरण में नहीं बनाया गया है।अतः प्रस्तुत निगरानी व्यर्थ हो जाने से इसी स्तर पर अग्राहय की जाती है।

7/6/18

सदस्य